हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 28 अगस्त 2025, समय 1305 (05 मिनट)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि -पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है । मंत्रिमंडल ने ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है। इस योजना का कुल परिव्यय 7 हजार 332 करोड़ रुपये है।

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्तों में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा व थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। पहली किस्त के ऋण को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त के ऋण को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित एक करोड़ 15 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करना है।

रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में गुणवत्ता परिषद भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण को मजबूत करने, पूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार और उद्यमिता के

अवसरों का विस्तार करने तथा राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सदन में कहा कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधे प्रसारण को लेकर कुछ भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं।उन्होंने कहा कि तथाकथित प्रतिबंध लगाने की बात अधूरे तथ्यों की जानकारी होने के कारण उठाई गई। कुछ रोकथाम का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 361-ए दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तथा काफी सोच-विचार कर कार्यवाही से निकाले गए व नकारात्मक शब्दों से बचाव के लिए इस तरह के कदम उठाए गए।

गौरतलब है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर विधान सभा की कार्यवाही के लाइव कवरेज" हेतु मीडिया संस्थानों को दिशा निर्देश भेजे थे। इन में कहा गया है कि केवल सेटेलाइट आधारित वे टीवी चैनल ही लाइव प्रसारण कर सकेंगे, जिनकी अनुमति विधान सभा अध्यक्ष दवारा दी गई हो। सीधा प्रसारण करने वाले टीवी चैनल हरियाणा विधानसभा के लोगो कै साथ 'अपने चैनल के नाम और लोगो के वॉटरमार्क का उपयोग करेंगे। विधान सभा सत्र के सीधा प्रसारण के दौरान किसी भी टीवी चैनल को अपने सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यब, एक्स आदि पर सत्र का सीधा प्रसारण साझा नहीं करेंगे।

हरियाणा और चंडीगढ़ में हर वर्ग के लोगों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स बारे विधेयक पारित किए जाने की प्रशंसा की जा रही है।ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां तेज़ी से पैसा कमाने की चाहत वाले युवाओं को अपने जाल में फँसा रही थी। बच्चों द्वारा अतमहत्या की जा रही थी । अब वो आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से बच सकेंगे।फरीदाबाद की संदीप कौर ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि पैसा लगा कर ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण उनके बच्चे ने अपनी जान दे दी ।